- (2) राज्य शासन, एतद्द्वारा सुश्री अंजली सिंह ठाकुर, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम सुश्री अंजली सिंह ठाकुर के स्थान पर श्रीमती अंजली शाह पत्नी श्री नीलमणि शाह परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
- (3) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती अंजली शाह के सेवा अभिलेखों में की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोसले, अवर सचिव, 'कार्मिक'.

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

एफ. क्र. 11-02-2010-सात-6.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-4-2011-एम एण्ड जी दिनांक 20 सितम्बर, 2012 द्वारा संसूचित अनापत्ति अनुसरण में राज्य शासन एतद्द्वारा सीहोर जिले के बुदनी तहसील के ग्राम ''सुड़ानिया'' का नाम परिवर्तित कर ''श्यामनगर'' करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 11-02-2010-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 11-02-2010-सात-6, दिनांक 19 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th October, 2012

F.No. 15-02-2010-Seven-6.—In pursuance of no objection conveyed by Govt. of India, Ministry of Home Affairs vide their letter No. 11-4-2011-M & G dated 20 September, 2012 the State Government hereby change the name of village of "SUDANIA" tahsil Budni, district Sehore as "SHYAMNAGAR" with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012

फा. क्र. 1-5-96-3108-2012-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-21-ब (एक), दिनांक 12 अप्रैल, 2012 को जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में, नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय भोपाल होगा, अर्थात्:—

राजस्व जिले

- (1) ग्वालियर (2) गुना (3) शिवपुरी (4) छतरपुर(5) दितया (6) अशोकनगर (7) भिण्ड.
- F. No. 1-5-96-3108-2012-XXI-B (One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in partial supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96-XXI-B (1), dated 12th April, 2012, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated 20th April, 2012, the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Manoj Kumar Shrivastava, IInd Additional Sessions Judge, Bhopal as a Special Judge with Head Quarter at Bhopal for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946), by the Delhi Police and Central Bureau of investigation, namely :-

Revenue Districts

(1) Gwalior (2) Guna (3) Shivpuri (4) Chhatarpur (5) Datia (6) Ashoknagar (7) Bhind.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.